राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3205/2024

विनोद सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, अल्प संख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, (अल्प संख्यक मामलात विभाग) भरतपुर।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय, कामां, डीग भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.10.2024
आदेश की दिनांक : 25.10.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का मूल विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग है एवं अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक (गणित) का पद धारण करता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 20.09.2023 के द्वारा प्रतिनियुक्ति के तहत एक वर्ष के लिये राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में पदस्थापन किये जाने के आदेश दिये थे एवं अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति पर GMRS Kama, भरतपुर में पदस्थापित किया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति को एक वर्ष का समय समाप्त हो चुका है, परन्तु अभी तक अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त नहीं की गई। अपीलार्थी ने प्रतिनियुक्ति निरस्त कर उसे मूल विभाग हेतु कार्यमुक्त किये जाने के लिये प्रतिवेदन भी प्रधानाध्यापक को प्रस्तुत किया है,

परन्तु अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति अभी तक समाप्त नहीं की गई है। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पत्र दिनांक 06.08.2024 जारी कर अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग ने प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत माध्यमिक शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किये गये हैं, जिसके साथ प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों की सूची भी संलग्न की थी, जिसमें अपीलार्थी का नाम भी अंकित था, परन्तु माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग के आदेशों की पालना नहीं की गई है। अपीलार्थी को वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के लिये पाबंद किया जा रहा है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने हेतु आदेश पारित किया गया।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. आदेश दिनांक 20.09.2023 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को जो प्रतिनियुक्ति राजकीय अल्पसंख्यक विद्यालय में प्रदान की गई थी, वह एक वर्ष के लिये दी गई थी। शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति को जारी रखने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसे में एक वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात अपीलार्थी के संबंध में उचित आदेश पारित किया जाना आवश्यक था, जो अभी तक नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग ने भी प्रतिनियुक्ति समाप्त किये जाने के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में हम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर को निर्देश देना उचित पाते है कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति के संबंध में शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 06.08.2024 को दृष्टिगत रखते हुए उचित आदेश पारित करे। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग को अधिकरण द्वारा दिये गये उपरोक्त आदेश की पालना एक माह में सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाता है।

5. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)